

आज दिनांक 18/8/15 को उपखंड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमें ग्राम स्तरीय समिति वनाधिकार समिति से वन क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क भंवरगढ से रणवासी के लिए प्राप्त प्रस्ताव संख्या जिसका ग्राम स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है उसको उपखंड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया जाता है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वनाधिकारो की मान्यता) अधिनियम ,2006 की धारा 3(2) के एवं नियम 2008 के अंतर्गत उक्त प्रस्तावित वनभूमि पर कोई दावे लंबित नहीं है अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंखा की जाती है । सड़क के प्रस्तावित मार्ग में आने वाली वन एवं गैर वन भूमि का ग्राम वार विवरण निम्न प्रकार से है ।

क्रमांक	ग्राम का नाम	सड़क के एलाइनमेंट में पड़ने वाली वन भूमि का विवरण हेक्टेयर में	सड़क के एलाइनमेंट में पड़ने वाली गैर वन भूमि का विवरण हेक्टेयर में
1	सामनार नयागाँव	1.76	1.51
2	रणवासी	0.74	1.44
कुल		2.50 हेक्टेयर	2.95 हेक्टेयर

उपखंड अधिकारी
रणवासी/किशनगंज

किशनगंज/केलवाडा/भंवरगढ/नाहरगढ

पंचायत समिति किशनगंज

ग्राम सभा की बैठक में वन क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क
भंगरगढ़ से रजवासी..... के लिए प्राप्त प्रस्ताव को ग्राम स्तरीय
समिति द्वारा निर्माण हेतु अनुमोदन किया जाता है ।
अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी
(वनाधिकारो की मान्यता) अधिनियम , 2006 की धारा 3(2)
के एवं नियम 2008 के अंतर्गत उक्त प्रस्तावित वनभूमि पर
कोई दावे लंबित नहीं है अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को
उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंका की जाती है

आज दिनांक 28.01.2015 को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमे वन क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क भंगराव से रणवासी के लिए प्राप्त प्रस्ताव संख्या ...का ग्राम स्तरीय समिति द्वारा निर्माण हेतु अनुमोदन किया जाता है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वनाधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के एवं नियम 2008 के अंतर्गत उक्त प्रस्तावित वनभूमि पर कोई दावे लंबित नहीं हैं अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंका की जाती है। सड़क के प्रस्तावित मार्ग में आने वाली वन एवं गैर वन भूमि का ग्राम वार विवरण निम्न प्रकार से है। उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के रजिस्टर में क्रमांक ... पर इन्द्राज है तथा ग्राम सभा में 50% से अधिक सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गयी।

क्रमांक	ग्राम का नाम	सड़क के एलाइनमेंट में पड़ने वाली वन भूमि का विवरण हेक्टेयर में	सड़क के एलाइनमेंट में पड़ने वाली गैर वन भूमि का विवरण हेक्टेयर में
1	रामनगर नयागाँव	1.76	1.51
2	रणवासी	0.74	1.44
कुल		2.50 हेक्टेयर	2.95 हेक्टेयर

Kejendra Sodhi
 सरपंच
 ग्राम पंचायत खाखरा

Aras
 सरपंच
 ग्राम पंचायत खाखरा

Kejendra Sodhi
 ग्राम सचिव/ग्राम वंचायत
 (Panch) ग्राम पंचायत खाखरा
 पंचायत समिति, खाखरा

आज दिनांक 20.07.2015 को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमे वन क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क भंवराड से रणवासी के लिए प्राप्त प्रस्ताव संख्या का ग्राम स्तरीय समिति द्वारा निर्माण हेतु अनुमोदन किया जाता है । अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वनाधिकारो की मान्यता) अधिनियम ,2006 की धारा 3(2) के एवं नियम 2008 के अंतर्गत उक्त प्रस्तावित वनभूमि पर कोई दावे बंघित नहीं है अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंका की जाती है । सड़क के प्रस्तावित मार्ग में आने वाली वन एवं गैर वन भूमि का ग्राम वार विवरण निम्न प्रकार से है । उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के रजिस्टर में क्रमांक .../पर इन्द्राज है तथा ग्राम सभा में 50% से अधिक सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गयी ।

क्रमांक	ग्राम का नाम	सड़क के एलाइनमेंट में पड़ने वाली वन भूमि का विवरण हेक्टेयर में	सड़क के एलाइनमेंट में पड़ने वाली गैर वन भूमि का विवरण हेक्टेयर में
1	रामनगर नयागाँव	1.76	1.51
2	रणवासी	0.74	1.44
कुल		2.50 हेक्टेयर	2.95 हेक्टेयर

Rejendra Solhi
सरपंच
ग्राम पंचायत खाखरा
पंचायत समिति किशनगंज

हरशम
हरशावर उत्तवासी
पटवार भुवनेश्वर
सहो. किशनगंज (बारा)

ग्राम सचिव, पटवार सचिव
सचिव ग्राम पंचायत
सो. किशनगंज (बारा)
ग्राम पंचायत खाखरा
पंचायत समिति किशनगंज

बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर

ग्राम पंचायत/न्याय उप-समिति (व्यवहार)

पंचायत समिति किशनगंज

जिला बारा

बैठक होने की तारीख	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक कार्यवाही का विवरण	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
20-7-15	डाक योजना केन्द्र (बारा)	श्री प्रमिला देवी	श्री प्रमिला देवी, श्री प्रमिला देवी, श्री प्रमिला देवी	आज दिनांक 20-7-2015 को पंचायत बैठक का आयोजन श्री प्रमिला देवी सरपंच प्रमुख की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। इस में सर्व-प्रथम गांव बैठक कार्यवाही को उपस्थित करके पट का सुझाव जिसमें पुष्टि उपस्थित करके सर्व-सम्मति से करी। इस के बाद प्राण को कार्य-वाही-आगत में करी करी जो कि निम्नानुसार है।	श्री प्रमिला देवी
			श्री प्रमिला देवी	प्रस्ताव नं० 1:- ए.प. नैक करने को स्टूडेंट्स के प्रमाणों आग्रज-बाड़ी कार्य-वाही रावेडा कोरे ने कतलफत को आठ-	
			श्री प्रमिला देवी	दस प्रतिशत पडले उप-राज्य-प-कोन्ड रचारंकरा कहर हमारी आगत-बाड़ी कोन्डा पर जो स्टूडेंट्स	
		श्री प्रमिला देवी	श्री प्रमिला देवी	स्वामानपिन ही वो खराव दिने को करने व दानने को सहित ही लेकिन आज तक नहीं बदलाये है। सरकार के वैसे बला दुःख उपयोग हो रहा है। खं	श्री प्रमिला देवी
		श्री प्रमिला देवी	श्री प्रमिला देवी	करिये करे प्राण है। इस को सभी आगत बाड़ी कार्य-वाही ने सम्पन्न किया। इसके बाद को ही नये स्टूडेंट्स मिलवाये जाये। खं डायित	श्री प्रमिला देवी
		श्री प्रमिला देवी	श्री प्रमिला देवी	प्रस्ताव नं० 2:- काड नियंत्रण के कच में- 100 शक्तिव ने सदन को कतलफत कि अपने क्षेत्र में कार्य-वाही-बाड को सम्पन्न आती ही। खं	श्री प्रमिला देवी
		श्री प्रमिला देवी	श्री प्रमिला देवी	दुरंत को सुचित कर। जिससे बाड को सभी आफ्न से दुरंत निजात मिले सके।	श्री प्रमिला देवी
		श्री प्रमिला देवी	श्री प्रमिला देवी	प्रस्ताव संख्या 20 → बैठक में वर क्षेत्र के पडनेवाली राख	श्री प्रमिला देवी
		श्री प्रमिला देवी	श्री प्रमिला देवी	भारत से राखवाही के लिए बाह-हलाय-को-भारत-हरीग-समिति द्वारा निर्माण हेतु अनुमोदन किया जासा है।	श्री प्रमिला देवी
		श्री प्रमिला देवी	श्री प्रमिला देवी	प्रस्तावित प्रस्तावित एवं अन्य परंपरागत वनाधिकारी (पनाधिकारी की मान्यता) माघिदिप 2006 की धारा 3(2) के एवं दिप 2008 के मंगल उक्त प्रस्तावित वगैरे पर कोई पत्रे लंघित नहीं है। इतरा सर्व-सम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावित वनाधिकारी में निर्माण हेतु-माघिशांषा की सम्पन्न जाती है।	श्री प्रमिला देवी
		श्री प्रमिला देवी	श्री प्रमिला देवी	इसके बाद बैठक सधन्यवाद मिलजुट हुआ है।	श्री प्रमिला देवी

Pravender Soodhi
सरपंच
श्री. वं. कानवर
पंचायत समिति बारा

ग्राम पंचायत/पदेन सीट
ग्राम पंचायत अखिरा
20 किशनगंज (बारा)

OFFICE OF DEPUTY CONSERVATOR OF FOREST BARAN

Sr. no. 11266

Date:- 8/10/15

To
Conservator of forest
KOTA.

Subject: - Diversion of 2.5 Ha of Forest land for construction of Road from Bhanwargarh to Ranwasi under RRSMP in Rajasthan in Baran forest Division.

Proposal No: - **FP/RJ/ROAD/6996/2014**


Reference: - Moef Office (Central region) Letter no. 8B/Raj/06/7/2015/FC/545 Dated: - 24th July, 2015 and User agency letter no:853 Dated- 08/10/2015

Sir,

The point wise reply to EDS submitted by user agency as follows:-

Sr. No.	EDS Raised/Shortcomings in the proposal	Reply of EDS
1	The shortcomings in KML file was pointed out in our letter dated 2 nd march 2015 but it has not been removed .the KML file is not showing the alignment of road and proposed area of Compensatory Afforestation.	Proposal is in EDS mode, it should be in Draft mode to upload corrected KML files. User agency many times contacts NIC Delhi for uploading these KML files but they Refused the request of USER agency. These KML files Has been mailed to NIC Delhi on Dated 11.09.2015 but they told that Thease KML files couldn't be uploaded now. DCF (Central) also telephonically Directed on Dated 5 th October 2015 to submit these KML files in soft copy and Hardcopy to The Moef Office (Central Zone) Lucknow. We have submitted these KML files in Four soft and hard copies to The DFO Baran.
2	In Part-I, it has been mentioned by the user agency that for present proposal, the forest land is required in two villages namely Ramnagar Naya Gaon and Ranwasi whereas the proceeding of gramsabha meeting have been attached for the Village Khankhra .	In Part-I, it has been mentioned by the user agency that for present proposal, the forest land is required in two villages namely Ramnagar Naya Gaon and Ranwasi whereas the proceeding of gramsabha meeting have been attached as required. Both of These villages are in Gram Panchayat Khankhra . Gramsabha is held at the gram Panchayat headquarter So Gramsabha proceedings has been attached for Khankhra Panchayat. We have attached corrected gramsabha proceedings in EDS.
3	The proceedings of Sub-Divisional level Committee are general without specifically mentioning the name of village and the required forest land.	The proceedings of Sub-Divisional level Committee are submitted specifying the name of village and the required forest land. We have attached corrected Sub-Divisional level Committee proceedings in EDS.

The above mentioned proposals hereby forwarded for further necessary action please.


Deputy Conservator of forest
District Baran

EXECUTIVE ENGINEER PUBLIC WORKS DEPARTMENT DIVISION SHAHABAD

Sr. no. 853

Date:-08/10/2015

To

Divisional Forest Officer District Baran

Subject: - Diversion of 2.5 Ha of Forest land for construction of Road from Bhanwargarh to Ranwasi under RRSMP in Rajasthan in Baran forest Division.

Proposal No:- **FP/RJ/ROAD/6996/2014**

Reference: - Moef Office (Central region) Letter no. 8B/Raj/06/7/2015/FC/545 Dated: - 24th July, 2015

Dear Sir,


With Due respect in reference of above mention subject, We submitting the Reply for the EDS Raised by Forest Department for the Proposal as follows:-

Sr. No.	EDS Raised/Shortcomings in the proposal	Reply of EDS
1	The shortcomings in KML file was pointed out in our letter dated 2 nd march 2015 but it has not been removed .the KML file is not showing the alignment of road and proposed area of Compensatory Afforestation.	Proposal is in EDS mode, it should be in Draft mode to upload corrected KML files. User agency many times contacts NIC Delhi for uploading these KML files but they Refused the request of USER agency. These KML files Has been mailed to NIC Delhi on Dated 11.09.2015 but they told that Thease KML files couldn't be uploaded now. DCF (Central) also telephonically Directed on Dated 5 th October 2015 to submit these KML files in soft copy and Hardcopy to The Moef Office (Central Zone) Lucknow. We have submitted these KML files in Four soft and hard copies to The DFO Baran.
2	In Part-I, it has been mentioned by the user agency that for present proposal, the forest land is required in two villages namely Ramnagar Naya Gaon and Ranwasi whereas the proceeding of gramsabha meeting have been attached for the Village Khankhra .	In Part-I, it has been mentioned by the user agency that for present proposal, the forest land is required in two villages namely Ramnagar Naya Gaon and Ranwasi whereas the proceeding of gramsabha meeting have been attached as required. Both of These villages are in Gram Panchayat Khankhra . Gramsabha is held at the gram Panchayat headquarter So Gramsabha proceedings has been attached for Khankhra Panchayat. We have attached corrected gramsabha proceedings in EDS.
3	The proceedings of Sub-Divisional level Committee are general without specifically mentioning the name of village and the required forest land.	The proceedings of Sub-Divisional level Committee are submitted specifying the name of village and the required forest land. We have attached corrected Sub-Divisional level Committee proceedings in EDS.

The above discrepancies have been removed by us and proposal has been submitted for further necessary action please.

Enclosed:-

1. CD with KML files of Road alignment and Compensatory Afforestation in Four copies.
2. Hard Copy of the KML file in four copies.


EXECUTIVE ENGINEER
Public Works Department
Div Shahabad